पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 8323/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 23/11/2009

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 17.11.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2.	प्रो.. बंशीलाल खण्डेलवाल	—	सदस्य
3.	प्रो. विभूति राय	—	सदस्य
4.	प्रो. एस.के. सिंह	—	सदस्य
5.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	—	सदस्य
6.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	—	सदस्य
7.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	—	सदस्य
8.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	—	सदस्य
9.	डॉ. उज्जवल पाटनी	—	सदस्य
10.	श्री देवजी भाई पटेल	—	सदस्य
11.	डॉ. इंदु अनंत, कुलसचिव	—	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 13.10.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. MICS (Result Processing & Data Management Center) द्वारा प्रस्तुत देयक रू. 9,74,486/- रू. (नौ लाख चौहत्तर हजार चार सौ छियासी रूपये) वार्षिक परीक्षा परिणाम 2008-09 के भुगतान पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि MICS (Result Processing & Data Management Center) द्वारा प्रस्तुत देयक रू. 9,74,486/- रू. (नौ लाख चौहत्तर हजार चार सौ छियासी रूपये) का 90 प्रतिशत, वार्षिक परीक्षा परिणाम 2008-09 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. दिनांक 01.01.2006 को या पश्चात् विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त /दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण, 90 प्रतिशत् प्रत्याशित पेंशन भुगतान स्वीकृति के संबंध मे विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि राज्य शासन को भेजे गये पत्र का प्रत्युत्तर/आदेश प्राप्त होने तक स्थगित रखा जाये।

4. सत्र 2009–10 के लिये छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन, पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि सत्र 2009–10 के लिये छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन, हेतु तीन संकायाध्यक्षों को सदस्य के रूप में मनोनयन निम्नानुसार किया जाए –

01. प्रो. अब्दुल अलीम खान, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय

02. प्रो. प्रोमिला सिंह, संकायाध्यक्ष, समाजिक विज्ञान संकाय

03. प्रो. एस.के. सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय

5. शैक्षणिक विभागों में विभागाध्यक्ष के पद पर चक्रानुक्रम के अनुसार नियुक्ति का संशोधित विनियम पर शिक्षकों से प्राप्त अभिमत पर विचार करना।

निर्णय : विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि पूर्व में विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक 2303/अका./2000 रायपुर, दिनांक 22 जुलाई, 2000 के द्वारा अधिसूचित था, परंतु कार्यवाही रूप में लागू नहीं था। अतः कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.11.2009 से कार्यवाही रूप में लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

6. विश्वविद्यालय के निलम्बित सहायक यंत्री श्री बी.पी. भंवर के विरूद्ध नये सिरे से जाँच कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा जाँच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रथमतः 7 दिनों में कुलसचिव के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय यंत्री श्री ए.के. शर्मा, उपयंत्री (सिविल) श्री रूपेश शर्मा, प्रभारी विधिक प्रकोष्ठ श्री आलेख साहू तथा स्थापना/प्रशासन शाखा के अधिकारी/कर्मचारी स्थापना/प्रशासन एवं यांत्रिकी विभाग में उपलब्ध नस्तियों में से श्री भंवर के प्रकरण से संबंधित समस्त सुसंगत दस्तावेज के मूल अभिलेख (जिसके आधार पर आरोप पत्र तैयार किया गया है) को ढूंढकर, आरोपों के क्रम में कुलसचिव को प्रस्तुत करें। कुलसचिव प्रश्नाधीन अभिलेखों को सुव्यवस्थित कराकर, कार्यपरिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

7. डॉ. सुभाष चंद्राकर, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक को निरन्तर बनाये रखने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि डॉ. सुभाष चंद्राकर, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक की सेवायें आगे निरंतर रखे जाने की, राज्य शासन के पत्र के परिप्रेक्ष्य में नियोक्ता महाविद्यालय को पत्र लिखा जाय। नियोक्ता महाविद्यालय की सहमति पर ही 23.11.2009 से समन्वयक का पद भरे जाने तक, समन्वयक के रूप में डॉ. सुभाष चंद्राकर की सेवायें निरन्तर रखी जाय।

8. विकलांग परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र हल करने हेतु एक घंटा अतिरिक्त समय दिये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र क्रमांक F. 6-1/2006(CPP-II/SCT), 30 Sep., 2009 पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में विकलांग परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र हल करने हेतु एक घंटा अतिरिक्त समय दिये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र क्रमांक F. 6-1/2006(CPP-II/SCT), 30 Sep., 2009 पर विचार कर प्रस्ताव मान्य किया गया।

9. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.11.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.11.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

10. भवन निर्माण समिति के पुनर्गठन के संबंध में, कार्यपरिषद् द्वारा भवन निर्माण समिति में 02 सदस्यों का Nomination किए जाने पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण समिति के पुनर्गठन के संबंध में, कार्यपरिषद् द्वारा भवन निर्माण समिति में निम्नलिखित 02 सदस्यों का Nomination किया गया –

01. एन.आई.टी. रायपुर के सिविल विभाग के विभागाध्यक्ष।

02. N.I.T. Raipur के Architectural विभाग से प्रोफेसर या रीडर (वरिष्ठता क्रम से)।

11. आफसेट प्रिंटिंग प्रेस सतना को वर्ष 2007 में किए गए मुद्रण (कम्प्यूटराइज्ड डिग्री मुद्रण) कार्यों के एवज में रू. 5.00–5.00 लाख दो किस्तों में कुल 10.00 लाख रू. का भुगतान किया गया, का सूचना ग्रहण करना। शेष राशि रू. 3,22,708=00 (तीन लाख बाईस हजार सात सौ आठ) मात्र का भुगतान किये जाने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : आफसेट प्रिंटिंग प्रेस सतना को वर्ष 2007 में किए गए मुद्रण (कम्प्यूटराइज्ड डिग्री मुद्रण) कार्यों के एवज में रू. 5.00–5.00 लाख दो किस्तों में कुल 10.00 लाख रू. का भुगतान किये जाने की सूचना ग्रहण की गई, शेष राशि रू. 3,22,708=00 (तीन लाख बाईस हजार सात सौ आठ) मात्र का भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

12. श्री बनवाली राम यदु, सेवानिवृत्त प्र.श्रे.लि. द्वारा दो माह अधिक कार्य उपरांत सेवानिवृत्त होने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि प्रकरण कार्यपरिषद् से संबंधित नही है। अतः प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही हेतु वापस किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से

01. पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ग्रंथालय समिति की बैठक, दिनांक 06.11.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ग्रंथालय समिति की बैठक, दिनांक 06.11.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।

02. मुख्य परीक्षा 2009–10 के उत्तर पुस्तिका मुद्रण के प्रकरण पर विचार किया गया।

निणय : निर्णय लिया गया कि मुख्य परीक्षा 2009–10 के उत्तर पुस्तिका मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से (छत्तीसगढ़ के अन्य विश्वविद्यालय की तरह) मुद्रित कराए जाय। (सरगुजा विश्वविद्यालय के लिए मुख्य उत्तर पुस्तिका/पूरक उत्तर पुस्तिका/प्रायोगिक उत्तर पुस्तिका के स्वीकृत दर पर कार्यादेश जारी करें।)

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 8324 /अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 23 /11/2009

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/आन्तरिक अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)